संख्या:568/2023/1266/35-4-2023

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 29 मार्च, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-लखनऊ में सड़क निर्माण से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यों की रू. **495.30** लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में रू. **247.75** लाख (रूपये दो करोड़ सैंतालिस लाख पछहत्तर हजार मात्र) आपके निवर्तन पर निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

(लाख रू. में)

	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
	विधानसभा-मध्य			
1.	विक्रमादित्य वार्ड-कैबिनेटगंज कालोनी शिव मंदिर से बाबूलाल के मंदिर तक इंटरलाकिंग का निर्माण कार्य	240	22.27	11.14
2.	जगदीश चन्द्र बोस वार्ड-बी.एन. रोड से लेकर मुन्ना ठेकेदार के घर तक डामरीकरण का कार्य और 5 कन्दारी बाजार से लोध पुरवा तक इंटरलाकिंग का कार्य	209	08.14	04.07
3.	रफी अहमद किदवई वार्ड-शिव भोला मंदिर विशाल खण्ड-1 के पीछे से 1/541 से 562 तक इंटरलाकिंग का निर्माण कार्य	100	07.16	03.58
4.	राजा बाजार वार्ड-रस्तोगी टोला विहारी मंदिर के पीछे सुमित के घर से बिहारी जी मंदिर तक सी0सी0निर्माण कार्य	565	01.59	0.80
5.	मालवीय नगर वार्ड-सर्वेश कुमार पाल के दरवाजे से सज्जन(रज्जन) लाल शर्मा के दरवाजे तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य	342	01.64	0.82
6.	विक्रमादित्य वार्ड-विश्व संवाद केन्द्र से भुइयन देवी मंदिर तक इंटरलाकिंग का कार्य	134	13.81	06.91
	विधानसभा-पश्चिम			
7.	कृष्णा मोटर तक पप्पू सीमेंट वाले के घर से लेकर इस्माइल के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	108	13.58	06.79
8.	शान्तीपुरम कालोनी में अनुज मिश्रा के आवास से शमशेर यादव के मकान तक इंटरलाकिंग कार्य	145	15.10	07.55
9.	आलमनगर वार्ड-जलालपुर गांव में विश्वनाथ के घर के पास अंकुर जी के घर से प्यारे लाल के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	145	15.10	07.55
10.	सआदतगंज वार्ड-अनुराग पाठक के मकान से नाई की दुकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	60	08.28	04.14
11.	कन्हैया माधोपुर-वार्ड दिलीप के घर से भूपेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य	55	06.56	03.28
12.	न्यू हैदरगज-3 वार्ड राधेश्याम पाण्डे के घर से मनोज यादव के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य	110	11.83	05.92
13.	मौ. कल्बे आबिद वार्ड सुधांशू श्रीवास्तव के मकान के सामने से एल ब्लाक तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य	135	18.55	09.28
14.	हैदरगंज-2 वार्ड शुक्ला जनरल स्टोर गुप्ता वस्त्रालय तक इंटरलाकिंग कार्य	116	17.97	08.99
15.	न्यू हैदरगंज-2 वार्ड डिप्टी खेड़ा मुख्य मार्ग से नीरज यादव के मकान तक इंटरलाकिंग कार्य	169	21.50	10.75

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16.	कन्हैया माधवपुर द्वितीय वार्ड चौरसिया विहार में किशोर के मकान से मुंशीलाल के मकान तक, विकास श्रीवास्तव के मकान तक कनेक्टिंग रोड इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य	120	12.89	06.45
17.	तेजपाल मंदिर से अयोध्या प्रसाद गुप्ता गली तक इंटरलाकिंग कार्य	158	09.01	04.51
18.	बजरंगबली वार्ड मटरू के घर से राजन की दुकान तक सेक्टर एल इंटरलाकिंग कार्य	88	09.28	04.64
19.	फैजुल्लागंज-2 वार्ड सतीश सिंह के मकान से रामसेवक कनौजिया के मकान तक श्याम बिहार कालोनी तक निर्माण कार्य	146	16.43	08.22
20.	फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड पाण्डेय काम्प्लेक्स से लेकर श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह के आवास से होते हुए न्यू इरा स्कूल तक एवं नवीन चन्द्र मिश्रा के आवास तक लेपन निर्माण कार्य	440	13.29	06.65
21.	दौलतगंज वार्ड हिमालया लाउन्ड्री मुर्गखाना से रहमती मस्जिद तक व आस पास की गली इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य	148	10.95	05.48
22.	अयोध्यादास प्रथम वार्ड कैलाश दीक्षित के मकान से राजकुमार मिश्रा के मकान तक मिठाई लाल के मकान से संजय प्रकाश तक अनिल मौर्या के मकान से दिनेश सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग।	113	10.69	05.35
23.	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड अभिलाषा स्कूल रोड विष्णु विहार हनुमन्तपुरम में सड़क इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य	230	46.13	23.07
	विधानसभा-कैण्ट			
24.	गीतापल्ली वार्ड लक्ष्मी ज्वैलर्स/पुत्तने राठौर साहब संजय गांधी मार्ग आजाद नगर आलमबाग इंटरलाकिंग कार्य	42	03.16	01.58
25.	ओमनगर वार्ड शैलेन्द्र सिंह के घर से राजेन्द्र तिवारी के घर तक मधुवननगर आलमबाग इंटरलाकिंग कार्य	130	07.46	03.73
26.	मोतीलाल नेहरूनगर वार्ड दिलीप यादव, शर्मा चक्की से मबइया चौराहा इंटरलाकिंग कार्य	65	04.04	02.02
27.	ओमनगर-बी. एन. मलिक(बी0आर0मलिक) के घर से गुरूनानक स्कूल तक (लेपन रोड के दोनों तरफ) इंटरलाकिंग कार्य	170	20.09	10.05
28.	केसरीखेड़ा वार्ड-मोहल्ला महाराजापुरम में श्री सतीश चन्द्र शर्मा के घर से श्री सुरेश के घर तक इंटरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य	225	31.11	15.56
	विधानसभा-पूर्व			
29.	सरनवाल के घर से एस.पी. सिंह के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	102	17.43	08.72
30.	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड बी 44 से चर्च तक लवकुशनगर इंटरलाकिंग कार्य	072	05.22	02.61
31.	महानगर वार्ड-केके एडवोकेट के घर से आर0एच0 सिंह के घर तक रहीमनगर में डामररोड निर्माण कार्य	075	05.30	02.65
32.	महानगर वार्ड-शंकरजी मंदिर से ललित कुमार के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	232	21.22	10.61
33.	महानगर वार्ड 17/4 विष्णु पुरी कालोनी से मेन रोड तक इंटरलाकिंग कार्य	027	05.84	02.92
34.	इस्माइलगंज-2 वार्ड श्री दुर्गा प्रसाद पाण्डेय के घर से लिंक रोड तक तकराही फतहा पुरवा इण्टरलॉकिंग कार्य	107	16.05	08.03
35.	शंकरपुरवा-1 वार्ड अजय मिश्रा के मकान से शिव कुमार यादव के मकान तक इंटरलाकिंग कार्य	104	14.29	07.15
36.	शंकरपुरवा-2 वार्ड रणजीत के मकान से आखिरी घर तक निकट प्रगति बिहार स्कूल तक इंटरलाकिंग कार्य	053	05.06	02.53
37.	शंकरपुरवा प्रथम वार्ड गांधीनगर कल्याणपुर में श्री लालमन वर्मा के मकान से सुनीता पाण्डेय जी के मकान होते हुए कमला पति गुप्ता के मकान तक सड़क इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य	085	06.81	03.41
38.	राजीव गांधी द्वितीय वार्ड साईं इन्क्लेव कालोनी विजयनगर गोमतीनगर एक्सटेंशन में इंटरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य	052	05.08	02.54
39.	रफी अहमद किदवई वार्ड बड़ी जुगौली में देवानन्द के मकान से अमृतलाल के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य	117	06.87	03.44
40.	विनीतखण्ड गोमतीनगर में मकान नं0 ई-3/269 से ई-3/296 तक इंटरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य	100	08.52	04.26
	योग:	**5834**	**495.30**	**247.75**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
3. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी।
4. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्य के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
6. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।
10. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
11. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
12. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
15. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2023 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2023 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।
17. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
18. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

19. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
20. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
21. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
22. प्रयोजनान्तर्गत नियमानुसार 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनुमन्य कर दी गई है। जी0एस0टी0 की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
23. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
24. प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. **2,47,75,000** (रूपये दो करोड़ सैंतालिस लाख पछहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 040 **लेखाशीर्षक** 505404337030301 ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:568/2023/1266(1)/35-4-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in